International Journal of Academic Research and Development
ISSN: 2455-4197
Impact Factor: RJIF 5.22
www.academicsjournal.com
Volume 2; Issue 5; September 2017; Page No. 1037-1038

बौद्ध भिक्षुणी संबंधी दण्ड विधान

अंजली अग्रवाल
शोधार्थी, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

सृष्टि की सृजनात्मकता में नारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। जो विश्व की समस्त संस्कृतियों का निर्माण करती है तथा संस्कृति की मेरूदण्ड मानी गई है। प्रत्येक युग में प्रत्येक धर्म में नारी को स्थान दिया गया है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी नारी को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना के पश्चात् महाप्रजापति गौतमी के आग्रह पर महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। जहां कोई संघ या संस्था का निर्माण होता है, वहीं उसके साथ कुछ नियम एवं विधान भी बनाये जाते है। बौद्ध भिक्षुणियों के संबंध में भी यह बात पूर्ण रूप से लागू की गई। संघ में स्त्रियों के प्रवेश के साथ ही उनके लिए अनेक नियम बनाये गये। जिनका पालन करना उनके लिए अनिवार्य होता था तथा उन नियमों का उल्लंघन करने पर विभिन्न दण्ड विधानों का भी प्रावधान किया गया।

बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् प्रथम बौद्ध संगीति में संघ की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु संघ के नियमों को कठोरता से पालन करने का वचन लिया गया। बौद्ध संघ में नियमों के उल्लंघन पर दो प्रकार के दण्डों का प्रावधान था– कठोर दण्ड एवं नरम दण्ड। संघ में किये जाने वाले अपराधों को 'आपत्ति' कहा जाता था। भिक्खुणी पातिमोक्ख के अनुसार पांच प्रकार की आपत्तियाँ या दोष हैः–

1. पाराजिक
2. संघादिसेस
3. निस्साग्गिय पाचित्तिय
4. पाचित्तिय
5. पाटिदेसनीय

इसके अतिरिक्त तीन अन्य आपत्तियों का वर्णन बौद्ध ग्रन्थों में मिलता है– 1. थुल्लचय 2. दुक्कट 3. दुब्भासित।

1. पाराजिक

भिक्षुणियों के लिए थेरवादी, महासंघिक एवं धर्मगुप्तक तीनों ने आठ पाराजिक बनाये हैं– जो भिक्षुणी मैथन करे जो भिक्षुणी चोरी करें, जो भिक्षुणी मनुष्य की हत्या करें, जो भिक्षुणी दिव्य शक्ति न होने पर भी उसका दावा करें, पाराजिक दोष वाली भिक्षुणी को जाने हुए भी जो भिक्षुणी न स्वंय टोके और न गण को सूचित करे इत्यादि। बौद्ध धर्म के लगभग सभी सम्प्रदायों में पाराजिक को सबसे अपराध माना गया है। इसमें अन्तर केवल नामकरण का है यथा पाराजिक, पाराजयिक इत्यादि।

2. संघादिसेस

यह पाराजिक के बाद दूसरा बड़ा अपराध था। संघादिसेस अनेक प्रकार के है–

1. जो भिक्षुणी घूमन्त होकर गृहस्थ, गृहस्थ पुत्र अथवा श्रमण पारिव्राजकों के साथ घूमे।
2. जो भिक्षुणी अकेले ग्रामान्तर को जाये अकेली नदी पर करें या अकेली रात्रि में प्रवास करें।
3. जो भिक्षुणी समग्र संघ द्वारा धर्म, विनय और बुद्धोपदेश से अलग की गयी। भिक्षुणी को गण की अनुमति के बिना अपनी सहयोगिनी बनाये।
4. जो भिक्षुणी प्रतिकूल आचरण करें, भिक्षुणी संघ का उपहास करें, एक दूसरे के अपराधों को गोपन रखे तथा तीन बार मना करने पर भी न माने।
5. जो भिक्षुणी अन्य भिक्षुणियों को पापाचार के लिए प्रोत्साहित करें।
6. जो भिक्षुणी दुर्वचनभाषी हो तथा किसी प्रकार की शिक्षाप्रद बातों को न सुने।

3. निस्साग्गिय पाचित्तिय

चीवर तथा पात्रों को धारण करने के संबंध में यह दण्ड दिया जाता था। दण्ड स्वरूप अपराधी को कुछ समय के लिए अपने वस्त्रों तथा पात्रों को त्याग करना पड़ता था। इसके अंतर्गत भी अनेक अपराध सम्मिलित किये गये है जिनमें से कुछ इस प्रकार है–

1. जो भिक्षुणी अधिक पात्रों का संचय करें।
2. जो भिक्षुणी अन्य भिक्षुणी से चीवर बदले।
3. जो भिक्षुणी याचित वस्तु के अतिरिक्त अन्य वस्तु मँगाये।
4. जो भिक्षुणी सोना, चाँदी को ग्रहण करें।
5. जो भिक्षुणी संघ के लिए प्राप्त वस्तु को अपने उपयोग में लाये।
6. जो भिक्षुणी पाँच से कम छेद वाले पात्र को बदलकर नया पात्र ले।

4. पाचित्तिय

पाचित्तिय शब्द संस्कृत के प्रायश्चित से बना है अर्थात् अपने अपराधों को संघ के सामने स्वीकार करने पर इसका निराकरण हो जाता था। प्रमुख पाचित्तिय इस प्रकार है–

1. जो भिक्षुणीय चीवर को परिव्राजक या परिव्राजिका को दे।
2. जो भिक्षुणी नृत्य देखे एवं गीत या वाद्य सुने।
3. जो भिक्षुणी एकान्त में पुरूष से अकेले बात करें।
4. भोजन करते समय भिक्षु की जल या पंखे से सेवा करें।
5. जो भिक्षुणी अपने को या दूसरे को श्राप दे।
6. भोजनकाल से पूर्व ही गृहस्थों के घरों में बैठे।
7. जो भिक्षुणी देानों संघों के समक्ष प्रवारण न करे।
8. जो भिक्षुणी राज–प्रसाद या चित्रशाला आदि देखने जाये।
9. मिथ्या विद्या को सीखे।
10. भिक्षु के सामने बिना पूछे आसन पर बैठे।

5. पाटिदेशनीय

पाटिदेशनीय या प्रतिदेशना मुख्य रूप से भोजन संबंधी अपराध था। बौद्ध परम्परा में पाटिदेशनीय के आठ नियम है जो लगभग एक समान है, केवल भोज्य पदार्थों की भिन्नता प्राप्त होती है जैसे जो भिक्षुणी स्वस्थ होते हुए भी दही, तेल, मधु, मक्खन, मत्स्य आदि मांगकर खाये। इस नियम का मूल उद्देश्य भिक्षुणियों के स्वादोन्द्रिय पर नियंत्रण रखना था तथा एक योग्य भिक्षुणी के समक्ष अपने अपराध को स्वीकार कर लेने पर इसका निराकरण हो जाता था।

6. थुल्लचय

यह लघु–आपत्ति दण्डों में सबसे कठोर दण्ड था। थुल्ल शब्द का अर्थ है गम्भीर। अपराध की गम्भीरता की दृष्टि से यह पाराजिक तथा संघादिसेस के बाद आता था। जो भिक्षुणी अणिचोल नामक वस्त्र को इस प्रकार बाँधती थी। जिससे उनमें कामाशक्ति की भावना उत्पन्न हो, उसे यह दण्ड दिया जाता था।

7. दुक्कट (दुष्कृत्य)

छोटे अपराधों पर दोषी व्यक्ति को यह दण्ड दिया जाता था। मन में बुरी भावना लाना या बुरे कर्म करने पर इस दण्ड का प्रावधान था।

8. दुष्भासित

बुद्ध, धर्म, संघ या किसी के प्रति कटु या बुरे वचनों का प्रयोग करने पर इन अपराधों का भागी बनना पड़ता था। इस दण्ड की मुख्य शिक्षा यह थी कि भिक्षुणियों को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए।

संघ की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए नियमों का कठोरता से पालन किया जाता था। संघ के नियमों की अवहेलना करने पर भिक्षुणियाँ कठोर दण्ड की भागी बनती थी। अतः संघ की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाये रखने का हर सम्भव प्रयत्न किया गया था।

संदर्भ

1. महावग्ग।
2. चुल्लवग्ग।
3. पातिमोक्ख, भिखुनी पाचित्तिय।
4. समन्तपासारिका।
5. भिखुणी, विनय।